

**झारखण्ड सरकार**  
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**  
**अधिसूचना**

दिनांक ..... 13/10/17

संख्या - 16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-2) का. 10605 / झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना संख्या 10092 दिनांक 22.09.2017 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विभाग की एक सेवा के सम्बन्ध में नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकार, द्वितीय अपील प्राधिकार तथा नियत समय-सीमाओं को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है :-

क्र०	प्रशासी विभाग का नाम	प्रदायी सेवा का नाम	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियम समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियम समय-सीमा
1	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	Deed Registration	District Sub Registrar/Sub Registrar	01 Working Day	Deputy Commissioner - Cum-District Registrar	15 Working Days	Divisional Commissioner	15 Working Days

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-2) का0- 10605 / राँची, दिनांक- ..... 13/10/17  
प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-2) का0- 10605 / राँची, दिनांक- ..... 13/10/17  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कार्यालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव